संख्या-187/2025/3320/26-3-2025-1620566

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग,
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ के कार्यालय के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त एवं लेखाधिकारी के पत्र संख्या-376/ दो-लेखा/88291/बजट/आ./ 24, दिनांक 04.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या- 80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण , 800- अन्य व्यय , 07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) एवं 20- सहायता अनुदान- समान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 531.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 99.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-93/2025/941/26-3-2025-1620566 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0-531.00 लाख के सापेक्ष मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-98.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 49.00 लाख तथा मानक मद-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-433.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 216.50 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-265.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक- 2225- अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण - 800 अन्य व्यय-07- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग-20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) तथा 31-सहायता अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 531.00 लाख के सापेक्ष मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि रू0 49.00 लाख तथा 31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) में धनराशि रू0 50.00 लाख इस प्रकार कुल **धनराशि रूपये 99.00 लाख (रूपये निन्यानबे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट

उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6 / 2025 / बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतिआवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मेनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा / स्वीकृत / अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय **(1) रुपये 49.00 लाख (रुपये उन्चास लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-80 लेखा शीर्षक 2225-01-800-07-00 अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग **मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)** (2) **रुपये 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 080 लेखा शीर्षक 2225-01-800-07-00 अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग **मानक मद-31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/ 2025/ बी-1-352 / दस- 2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MIS
Date: 15-12-2025
16:25:23

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज ।

3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज ।

4-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन ।

7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

8-वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र०अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ।

9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

10- गार्डफाइल

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव